


प्रेस विज्ञप्ति

उ0प्र0 शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना(MYSY) वित्तीय वर्ष 2019-20 के अर्न्तगत नयी इकाई के स्थापनार्थ उद्योग क्षेत्र की रूपया 25 लाख तक की एवं सेवा क्षेत्र की रूपया 10 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों को ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उर्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन पत्र कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, चित्रकूट से दिनांक 10.12.2019 तक किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त एवं जमा किया जा सकता है। आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को आधार, निवास, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां एवं शपथ-पत्र संलग्नकर जमा करना होगा।



(एस0के0 केशरवानी)
उपायुक्त उद्योग
चित्रकूट

कार्यालय:- उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, चित्रकूट

पत्रांक 831(3) / जि0उ0के0(चित्र0) / मु0यु0स्व0यो0 / 2019-20 दिनांक:- 28-11-19
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट को सादर अवलोकनार्थ।
- 2-जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट को 08 प्रतियों में प्रेस-विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 3-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(NIC), चित्रकूट को इस आशय से प्रेषित कि जिले की वेबसाइट/सम्बन्धित वेबसाइट पर सूचना को प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
- 4- अग्रणी जिला प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक कर्वी, चित्रकूट को विज्ञप्ति बैंकों को ई-मेल कराने हेतु।
- 5- फील्ड कर्मचारीगण जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, चित्रकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवण्टित क्षेत्र में योजना का प्रचार-प्रसार करते हुये आनलाइन आवेदन-पत्र भरवायें।
- 6- कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।



(एस0के0 केशरवानी)
उपायुक्त उद्योग
चित्रकूट